ISSN 2348-3857

न्यायिक सक्रियता एवं लोक कल्याण में जनहित वाद का महत्व

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

नीता चौहान

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

विधि के शासन के लिए भी यह आवश्यक है कि निर्धन अथवा अशिक्षित व्यक्तियों की उनके अधिकारों के प्रवर्तन करने मे सहायता की जाये। यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण विधि द्वारा दिये गये अपने अधिकारों का प्रवर्तन न कर सके तो सही अर्थो में विधि का कोई शासन नहीं माना जाएगा। इन्ही सब कारणों से सुने जाने के अधिकार की अवधारणा को शिथिल किया गया है तथा किसी भी लोक भावना संयुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तियों के संगठन को यह अनुमति दी गयी है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होने के कारण मूक दर्शन नहीं बना रह सकता हैं। यह व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका को संविधान द्वारा दिये गये कार्यो का निर्वहन करने के लिए निर्देश दे सकती हैं नि:संदेह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि सराकर के प्रत्येक अंग को अपना स्वंय का कार्य करना चाहिए ओर उसे अन्य अंगा की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किंतु उसी समय न्यायपालिका को अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त यह देखने का कार्य भी सौपा गया है कि क्या संविधान का उल्लंघन किसी व्यक्ति निकाय अथवा व्यवस्थापिका एंव कार्यपालिका सहित किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया हैं यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों की पूरा नहीं करते है तो न्यायालय उन्हें उक्त कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकता है कई अवसरों पर न्यायालय ने कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका को यह निर्देश दिये है कि वे अपने कार्यो का निर्वहन करे इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता हैं।

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समान न्याय पर जोर देता है। अनुच्छेद 14 समान न्याय को सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों को प्रदत्त समान न्याय अथवा मौलिक अधिकारों की प्रत्याभूति अर्थहीन होगी यदि उनका प्रवर्तन निर्धन, अशिक्षित अथवा कमजोर व्यक्तियों द्वारा नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी सम्मिलित हैं।[1] इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 (क) मे यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो ओर वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय कोई प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्याख्या करेगा।

विधि के शासन के लिए भी यह आवश्यक है कि निर्धन अथवा अशिक्षित व्यक्तियों की उनके अधिकारों के प्रवर्तन करने में सहायता की जाये। यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण विधि द्वारा दिये गये अपने अधिकारों का प्रवर्तन न कर सके तो सही अर्थो में विधि का कोई शासन नहीं माना जाएगा। इन्हीं सब कारणों से सुने जाने के अधिकार की अवधारणा को शिथिल किया गया है तथा किसी भी लोक भावना संयुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तियों के संगठन को यह अनुमति दी गयी है। वह निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकते हुए जनहित को प्रभावशील बनाने के लिए सदा अवस्था मे जनहित याचिका संस्थित (दायर) कर सकता हैं।

जनहित वाद का अर्थ एंव उद्देश्य

जनहित का अर्थ ऐसे कार्य के रुप में ग्रहण किया जा सकता है जिससे ऐसे जनहित अथवा सामान्य हित के प्रवर्तन हेतु किसी न्यायालय में प्रारम्भ हित के प्रवर्तन हेतु किसी न्यायालय में

प्रारम्भ किया जाता है जिसमे जनता का अथवा समुदाय के किसी वर्ग का धनीय हित अथवा कोई अन्य हित निहित होता है क्योंकि इससे उनके विधिक अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं। जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी[2] के मामले में जनहित की परिभाषा एक ऐसे विधिक कार्य के रुप में दी गयी हैं जिसका प्रारम्भ किसी न्यायालय में जनहित अथवा सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए किया जाता है जिसमे जनता का अथवा समुदाय के किसी वर्ग का धनीय हित निहित होता है अथवा ऐसा कोई हित निहित होता है जिसके द्वारा उनके विधिक अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं।

शीला बार्से बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी जनहित वाद में परम्परागत विवाद प्रस्ताव की कार्यप्रणाली की तरह व्यक्तिगत अधिकारों का कोई निधारण अथवा न्याय निर्णयन नहीं किया जाता है। किसी जनहित वाद की कार्यवाहियों का आशय समाज के उस कमजोर वर्ग के संवैधानिक अथवा वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोककर जनहित को प्रभावशाली बनाना होता है जो निर्धनता, अनभिज्ञता तथा सामाजिक एवं आर्थिक हानियों के कारण अपने अधिकारों का रचंम प्राख्यान नहीं कर सकते हैं और अक्सर उन्हें अपने उन अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती है जनहित वाद की तकनीक इन समूहों के अधिकारों एंव हितों के प्रवर्तित करने हेतु प्रभावी उपचार का प्रावधन करती है। वादों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए प्रकियात्मक तकनीकी में न्यायिक रुप से परिवर्तन किया गया है।

जनहित वाद की अवधारण की उत्पत्ति

जनहित वाद की उत्पति अमेरिका से हुई जहाँ सुने जाने के अधिकार को न्याय के हित में उदार बनाया गया। भारत में व्यक्ति के अधिकार व दायित्वों को विधि द्वारा मान्यता प्रदान की गई लेकिन यथार्थ में जनता को न मिलने के कारण जनहित वाद की अवधारण की उत्पत्ति हुई। इसका उद्भाव भारत में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा मुम्ब्र कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई[4] के मामले से हुआ। सरकार की दमनात्मक, शोषणात्मक, स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं व नीतियों के सरोकर का जनता के प्रति अनेक क्षेत्रों में उपेक्षापूर्ण रवैया इस अवधारणा के अवतरण के मूल कारण रहे हैं। जनहित वाद के विकास द्वारा न्यायिक सक्रियता को अर्थपूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई है।

न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य सरकार के अन्य अंगों (कार्यपालिका एंव व्यवस्थपिका) के आंतरिक कार्य प्रणाली की जांच करने के सम्बंध में न्यायपालिका के संचलन से है। न्यायिक सक्रियता नि:संदेह रुप से कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की ओर से अपने कार्य के प्रति निष्क्रियता अपनाये जाने का परिणाम है। व्यवस्थपिका का यह कार्य है कि वह विधि का निर्माण करे और कार्यपालिका का यह कार्य है कि वह उन विधियों को लागू करे किंतु ये दोनो ही अंग अपने कार्यों की संतोष जनक रुप में क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय की यह शक्ति न होकर कर्तव्य है कि वह संविधान को मान्य ठहराय ओर सरकार के अन्य अंगो को इस बात के लिए विवश करे कि वे अपने कार्यो का निर्वहन समुचित रूप से करें।

उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होने के कारण मूक दर्शन नहीं बना रह सकता हैं। यह व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका को संविधान द्वारा दिये गये कार्यो का निर्वहन करने के लिए निर्देश दे सकती है नि:संदेह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि सराकर के प्रत्येक अंग को अपना स्वयं का कार्य करना चाहिए ओर उसे अन्य अंगो की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किंतु उसी समय न्यायपालिका को अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त यह देखने का कार्य भी सौपा गया है कि क्या संविधान का उल्लंघन किसी व्यक्ति, निकाय अथवा व्यवस्थपिका एवं कार्यपालिका सहित किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया हैं यदि कार्यपालिका ओर व्यवस्थपिका संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यो को पूरा नहीं करते हैं तो न्यायालय उन्हें उक्त कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकता है। कई अवसरों पर न्यायालय ने कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका को यह निर्देश दिये हैं कि वे अपने कार्यों का निर्वहन करें, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता हैं। विधि के शासन को सुरक्षित रखने हेतु जिसकी आधारशिला पर प्रजातंत्रिक शासन की उप-संरचना स्थपित होती है, न्यायिक हस्तक्षेप समय की मांग है।[5]

अनुच्छेद **13, 32, 141, 142** एवं **226** न्यायिक सक्रियता के लिए अत्यधिक महत्व के हैं।

अनुच्छेद 32 :- इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय को मूलाधिकारों का संरक्षक बनाया गया हैं उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की विस्तृत शक्तियां प्रदान की गयी हैं न्यायिक शक्ति के प्रयोग में यह कार्यपालिका एवं व्यवस्थपिकीय कृत्यों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। उच्च न्यायालयों

को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों व्यवस्थपिका एवं कार्यपालिका के कृत्यों का परीक्षण कर सकते हैं और यदि उसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाते हैं तो इसे शून्य घोषित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 141 :- इसमें स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। इस अनुच्छेद के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति विधि की घोषणा करने के लिए होती है, इसका अधिनियम करने के लिए नहीं। किन्तु विधि की व्याख्या करने के अपने कार्य के अनुक्रम में यह विधि का परिवर्तन कर देती हैं।

अनुच्छेद 226 :- इसके द्वारा उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर उस सम्बंध में अधीक्षण एंव अधिकरणों पर उस संबध में अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त होती है। इस आधर पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय उसके पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।[7]

अनुच्छेद 142 :- यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुये ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा कि जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हैं और इस प्रकार से पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए ओर जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

जनहित वाद के विकास द्वारा न्यायिक सक्रियता को अर्थपूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गयी है। वर्तमान समय में न्यायालय किसी जनहित की भावना से युक्त ऐसे व्यक्ति अथवा संगठन की प्रेरणा से ही जनहित वाद ग्रहण करने हैं जो अभिरक्षा में रहने वाले किसी व्यक्ति अथवा ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के समूह के मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सद्भावपूर्ण तरीके से कार्य करता हो, जो अपनी निर्धनता अथवा अक्षमता अथवा सामाजिक या आर्थिक दीन स्थिति के कारण प्रतितोष के लिए न्यायालय में पहुंचने के लिए कठिनाई महसूस करता है। न्यायालय ने कार्यपालिका एंव व्यवस्थपिका का जनहित वाद की प्रेरणा पर अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिये है। जनहित वाद के कारण न्यायालय को जनहित में निर्देश देने एवं लोक कत्तव्यों को प्रवर्तित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मानवाधिकारों के संरक्षण में जनहित वाद का महत्त्व

1. बंधुआ श्रम एवं अन्य श्रम :- जनहित वाद के मामलों ने श्रमिक वर्ग की अत्यंत कठिन परिस्थितियों और श्रम विधियों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार की ओर से अपनायी गयी निष्क्रियता की पोल खोल दी है और उपयुक्त अनुतोष प्रदान करने के लिए न्यायालय को अवसर प्रदान किया हैं उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत प्राण के अधिकार का तात्पर्य शोषण से मुक्त होकर मानव गरिमा के साथ रहने के अधिकार के रुप में ग्रहण करना चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य कर्मकारों के लिए मानव गरिमा से युक्त जीवन सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित श्रम विधायन का प्रेक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है[9] और इस प्रकार के विधायन के क्रियान्वयन में राज्य की ओर से अपनायी गयी निष्क्रियता अनुच्छेद 21 में उपवर्णित मानव गरिमा के साथ रहने के अधिकार की अस्वीकृति समझी जायेगी। इस मामले में[10] उच्चतम न्यायालय को एक पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गयी थी फरीदाबाद के पत्थर की खानों में बंधुआ श्रम की व्यवस्था विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय ने उक्त पत्थर की खानों को देखने एवं जाँच करने तथा न्यायालय को उस सम्बंध मे अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। नीजा चौधरी बनाम् स्टेट ऑफ एम. दी.[11] के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि बंधुआ मजदूरों की न केवल पहचान एवं नियुक्ति की जानी चाहिए बल्कि नियुक्ति के पश्चात् उसका पुनर्वास भी किया जाना चाहिए।

2. बाल कल्याण :- बाल कल्याण के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णय सुनाये हैं। एन. सी. मेहता बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु[12] के मामले मे न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैं कि दियासलाई के कारखानों में बच्चों को नियोजित किया जाने दिया। सलाई की तीली अथवा पटाखा आदि के अंतिम उत्पात की विनिर्माण प्रकिया से सीधे सम्बद्ध है अत: इसकी बिल्कुल ही स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि बच्चों को केवल पैकिंग प्रकिया में नियोजित किया जा सकता है। किंतु पैकिंग का कार्य विनिर्माण को स्थान से दूर के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। बालश्रम के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि

बच्चों के जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षा की सुविधा आवश्यक है तथा समाजीकरण हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मनोंरजन का विस्तार किया जाना चाहिए । सामान्य शिक्षा के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और स्कूल के समय का समायोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनका नियोजन प्रभावित न हो। काम करने के समय के दौरान बच्चों को मूलभूत खुराक दी जानी चाहिए । न्यायालय ने यह प्रेक्षण दिया है कि कारखाना अधिनियम के अधीन मनोरंजन एवं चिकित्सा सम्बंधी सावधानियों से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रदान किये जाने की वैधानिक अपेक्षा है। राज्य को इन प्रावधानों को प्रवर्तित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। दियासलाई के कारखाने में बच्चों को नियोजित किया जाना एक खतरनाक नियोजन है और इसलिए कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से बीमा की जानी चाहिए और सेवा शर्तों के रूप में नियोक्ता द्वारा प्रीमियम का संदान किया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों अथवा खानों अथवा अन्य कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता हैं इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बच्चों के हित में अनेक निर्देश जारी किये हैं। शीला बॉस बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया[13] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह बाल अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रुप से प्रवर्तन करे।

इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय बाल कल्याण के प्रति बहुत सक्रिय प्रतीत होता है जनहित वाद ने उच्चतम न्यायालय को यह अवसर प्रदान किया है कि यह राज्य को इस बात के लिए विवश करे कि वह बाल कल्याण के लिए अधिनियमित की गयी विधियों को प्रवर्तित करे।

3. वेश्याओं से प्रवर्तित महिलाओं एवं उनके बच्चों का संरक्षण- इस पहलू पर भी न्यायिक सक्रियता प्रशंसनीय है जनहित वाद वेश्याओं प्रवर्तित महिलाओं एंव उनके बच्चों से सम्बन्धित विवाद को न्यायालय के समक्ष लाये हैं और इस प्रकार की महिलाओं एवं उनके बच्चों के संरक्षण हेतु अनेक निर्देश दिये हैं गौरव जैन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया[14] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जनहित वाद की प्रेरणा पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया हैं कि राज्य का तथा अन्य स्वैच्छिक गैर-सरकारी सगठनों एवं लोक भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्त्तवय है कि वे उनकी सहायता के लिए आयें और इस प्रकार की महिलाओं को वेश्यावृति से उभारें और व्यक्ति की गरिमा से युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता प्रदान करें और शिक्षा वित्तीय सम्पत्ति, बाजार सुविधाओं और इस सम्बन्ध में कतिपय मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के मार्गों के प्रावधानों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें। समाज में उनकी वास्तविक परिस्थिति प्रदान किये जाने के सम्बंध में विवाह एक दूसरा लक्ष्य है परिवार द्वारा स्वीकृति आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास की आस्था को पुनरुज्जीवित करने की महत्वपूर्ण सामग्री है। न्यायालय ने आगे यह भी प्रेक्षण किया है कि ग्रह निर्माण, विधिक सहायता, नि:शुल्क अधिवक्ता की सहायता और इसी प्रकार की अन्य सहायताएँ एवं सेवाएँ यह सुनिश्चित करने के अर्थपूर्ण उपाय हैं कि अभागी पतित महिलाएँ कुत्सित वातावरण से परिपूर्ण वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में पुन: न पड़ने पायें। न्यायालय ने इस सम्बन्ध में सुसंगत विधि के पुनर्विलोकन स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया हैं बुनाई, कताई, पेंटिंग और अन्य अर्थपूर्ण कार्यक्रमों पर इस प्रकार की महिलायें को रोजगार प्रदान करने के लिए जोर दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा के पश्चात् सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा प्राइवेट संगठनों में उपयुक्त रोजगार निर्माण स्कीम पर भारी बल दिया गया। वे वेश्यावृत्ति के विकास में कर्त्तव्य प्रभाएँ भी सहायता प्रदान करती हैं न्यायालय ने यह राज्य व्यक्त की है कि इन प्रभाओं के अस्तित्व में रहने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

4. पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में न्यायिक सक्रियता उल्लेखनीय है। इस उद्देश्य के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके न्यायिक निर्णय दिये गये हैं। प्रदूषण से मुक्त हवा, पानी आदि प्राप्त करना अनुच्छेद 21 की प्रत्याभूति के अन्तर्गत शमिल किया गया है। इन री भवानी रिवर बनाम शकित सुगर्स लि.[15] के मामले में नदी एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में डिस्टिलरी से अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाने को बड़ी गंभीरता से लिया गया था। उच्चतम न्यायलय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति पर रिट याचिका के निस्तारण में त्रुटि की है। उच्चतम न्यायलय ने उच्च न्यायालय को रिट याचिका के निस्तारण में त्रुटि की हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को रिट याचिका की विधि के अनुसार इसके नये सिरे से निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया था। एक वाद[16] में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त प्राण के स्वतंत्रता की गारण्टी में कोलाहल या ध्वनिप्रदूषण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है अत: प्रत्येक व्यक्ति को यह मूल अधिकार प्राप्त है कि वह कोलाहल या शोरगुल को रोक

सके। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शांतिपूर्वक रहना चाहता है और कोलाहल या शोरगुल के कारण उसके इस प्रकार रहने में बाधा पहुँचती है तो यह इसे रोक सकता है। ध्वनि प्रदूषण करने वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा अनुच्छेद 21 को विफल नहीं किया जा सकता । यदि किसी व्यक्ति को वाक् की स्वतंत्रता का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति के सुनने या न सुनने की स्वतंत्रता का अधिकार है किसी को भी सुनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अपनी वाक् को बहुत तेज कर देता है और वह भी कृत्रिम तरीकों का प्रयोग करके ऐसा करता है और इससे वह व्यक्ति उसे सुनने को बाध्य होता है जो कि उसे सुनना नहीं चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और प्रदूषण रहित प्राण के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किया था। न्यायालय ने प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे इस उद्देश्य के लिए जारी किये गये पहले के निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए कदम उठाये। न्यायालय ने कहा कि सभी वाणिज्यिक यातायात वाहनों को जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं बाहर कर दिया जायेगा और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 2 अक्टूबर 1998 के बाद चलाये जाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। ऐसी सभी वाणिज्यिक एवं यातायात के वाहनों को जो 17 से 19 वर्ष तक के पुराने हैं 15 नम्बर 1998 के बाद चलाये जाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

5. भ्रष्टाचार के मामले :- उच्चतम न्यायालय लोक कर्त्तव्यों के प्रवर्तन में बहुत अधिक सक्रिय रहा है वस्तुतः यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह ये देखे कि सरकार के अन्य अंग एवं लोक प्राधिकारीगण उन्हें दिये गये संवैधनिक एवं वैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। जनहित वाद के माध्यम से न्यायालय के समक्ष बहुत से राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध के मामले लाये गये हैं। और न्यायालय ने अनेक निर्देश जारी किये है जिससे कि विधियों को लागू करने वाले अभिकरणों को इस बात के लिए विवश किया जा सके कि वे अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सके ओर भष्टाचार दोषी व्यक्तियों अथवा अपराध करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सके। यहाँ तक कि न्यायालय द्वारा सी.बी.आई के अन्वेषण तक का अनुश्रवण किया गया है बहुत से घोटाले जैसे हवाला घोटाला यूरिया घोटाला, आयुर्वेदिक दवाओं का घोटाला, चारा घोटाला, आदि न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त अनुतोष एवं आदेशों के लिए जनहित वाद के माध्यम से लाये गये हैं।

6. राज्य के कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन पर राज्य के दायित्व के विस्तार :- जहाँ संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन राज्य के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है वहाँ सम्प्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत को लागू करने से इन्कार किया जा सकता है न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लघंन के मामले में सम्प्रभु उन्मुक्ति का नियम लागू नहीं होगा और राज्य सरकार को इसके लिए प्रतिकार देने का आदेश दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नही। यदि इसका उल्लंघन राज्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तो राज्य को प्रतिकार देने के दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है। और ऐसी दशा में सम्प्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद में पुलिस ने कुछ कैदियों को अंधा बना दिया। न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि वह उन कैदियों को प्रतिकार दे। राज्य ने मुद्रा के रुप में प्रतिकार प्रदान किया। रुदलशाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद मे समक्ष न्यायालय द्वारा रुदलशाह को रिहा किए जाने के उपरान्त भी उसे 14 वर्ष तक जेल में रखा गया। न्यायालय ने राज्य को प्रतिकार देने का दायित्वाधीन ठहराया। जनहित वाद के द्वारा रक्त के संग्रह करने स्टोर किये जाने एवं आपूर्ति किये जाने के सम्बंध में कतिपय कमियों को न्यायालय को समक्ष लाया गया था। न्यायालय ने रक्त के संग्रह, स्टोरेज, वितरण एवं परिवहन का नियंत्रित करने के लिए और रक्त बैंक चलाने के लिए एक पृथक विधायन हेतु निर्देश दिये थे।

7. सूचना का अधिकार :- सूचना के अधिकार में मानवाधिकार का एक भाग माना गया हैं बिना इस अधिकार के वाक् और अभिव्यक्ति की सूचना प्रभाव कारी और सार्थक नहीं होगी। इसके विकास में भी लोकहित वाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एस.पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सूचना का अधिकार अथवा जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अन्तर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। इस वाद में न्यायालय ने प्रेक्षण किया है कि सरकार के कार्य कलाप से सम्बंधित सूचना का प्रकटीकरण नियम होना चाहिए और गुप्तता इस नियम का अपवाद।

उच्चतम न्यायालय ने जनहित वाद के प्रायोजन को स्पष्ट करते हुआ कहा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य कमजोर और दलित, कुचले तथा तिरस्कृत व्यक्तियों जिनकी न्याय तक पहुँच ही है

अथवा जिन्हें न्याय दिया गया है कि पूर्ण न्याय दिलवाना हैं इस प्रकार इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए न्याय उपलब्ध कराना है। जनहित वाद ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग अति सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग प्रचार अथवा व्यक्तिगत विद्रोष के निमित्त अनुज्ञात नहीं किया जाता है। न्यायालय लोकहित के आवरण को हटाकर इसके पीछे विद्यमान व्यक्ति विदोष इत्यादि को देख सकता है और इस निमित्त इसके प्रयोग को वर्जित कर सकता है और उपयुक्त मामले में उदाहरणात्मक लागत देने का आदेश दे सकता है जनहित वाद अनुज्ञात करने से पूर्व न्यायालय को आवेदक की विश्वसनीयता और उसके द्वारा दी गई सूचना की प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता के सम्बन्ध में संतुष्ट करना होगा। इसके साथ ही सूचना अस्पष्ट और अनिश्चित नही होनी चाहिए। सूचना से सन्निहित गंभीरता प्रकट होनी चाहिए।[19]

संदर्भ सूची

1. हुसैन आरा बनाम स्टेट ऑफ बिहार , ए.आई.आर. 1979 एस.सी.1369
2. ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 892
3. ए.आई.आर. 1976 उच्चतम न्यायालय 1455
4. वी.वी. उपाध्याय, ज्यूडिशियल एक्टिविज्य-इसका उदभव एंव सुसंगति, ए.आई.आर. 1997 जनरल 140
5. राजेश्वर बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1887
6. धनवन्तरि बनाम सी. आई. टी. ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 683
7. बरदकान्त मिश्रा बनाम भीमसेन दीक्षित (1973)1 एस.सी.सी. 446
8. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 802
9. उपरोक्त
10. उपरोक्त
11. ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1099
12. ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 41
13. (1984)2 एस.सी.सी. 244
14. ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3021
15. ए.आर.आर. 1998 एस.सी. 2578
16. एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 291 पृ. 292
17. स्टेट ऑफ बिहार बनाम रांची जिला समता पार्टी, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1575
18. नरिन्दर बनाम स्टेट ऑफ हिमा. प्रदेश, ए.आई.आर. 1971 एस.आई.आर. 1971 एस.सी. 2399
19. डॉ. बी. सिह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 2004. एस.सी. 1923